

उपरोक्त (अ. नं. ३१-३२)

३१-३२ वादी/वकील वादी की ओर से पत्रावली को आज ही तलब करवाकर प्रकरण को नोटबुक्स में खारिज करवाने बाबत प्रार्थना-पत्र पेश करने पर पत्रावली तलब की गयी वादी/वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया एवं वादी/वकील वादी को सुना गया। चूंकि वादी प्रकरण को ~~अवलोकन~~ अवलोकन नहीं चाहता है तथा प्रकरण को नोटबुक्स में खारिज करवाना चाहता है

जातिराम



अतः उक्त वाद को नोटिस में जारी  
किया जाता है

पशावती फैसल सुमाय लोकन नरवर से  
कस हों

  
अखण्ड अधिकारी  
रूपनगढ़ (अजमेर)